न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारीः– हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0ः–92 / 15 दायर दिनांक 30.09.2015

जीसीएमएस आई0डी0ः–2016 / 00464

1. अमरसिंह पुत्र मूल्या उम्र 40 साल
2. मोहनसिंह पुत्र मूल्या उम्र 30 साल
3. मगनी बेवा मूल्या उम्र 50 साल
4. कैलाशी पुत्री मूल्या उम्र 28 साल
5. कलावती पुत्री मूल्या. उम्र 25 साल
6. गुडडी पुत्री मूल्या उम्र 22 साल

समस्त जाति मीणा
निवासी ग्राम–झारैडा तहसील
हिण्डौन जिला करौली राज0

–सायलान–06

बनाम

1. गिरधारी पुत्र बलू उम्र 70 साल
2. सुरेश पुत्र गिर्राज उम्र 40 साल
3. हरिओम पुत्र जगन उम्र 45 साल
4. लखन पुत्र जगन उम्र 32 साल
5. कपिल, पुत्र हरिओम उम्र 22 साल
6. निरंजन पुत्र जगन उम्र 35 साल
7. जगन पुत्र रामहेत उम्र 65 साल

समस्त जाति मीना
निवासी ग्राम झारेडा तहसील
हिण्डौन जिला करौली राज0

गैरसायलान–07

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री संजय शर्मा वकील सायलान
2. श्री अशोक नीमनका वकील गैरसायलान

निर्णय दिनांकः– २८-२-२०२५

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा नं. 1402 बारानी अव्वल रकवा 17 ऐयर तथा खसरा नं. 1403 वाके ग्राम क्षारैडा तहसील हिण्डौन, सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि है। जो पूर्व दिशा में स्थित रास्ता आम खसरा नं. 922 से लैंगवा स्थित है। उक्त भूमि के किसी भी भाग से गैरसायलान का कोई संम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है। इस भूमि में होकर गैरसायलान का कोई रास्ता नहीं है।

सायलान ने अपने कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि मुतजिकरा मद नं. –2 प्रार्थना पत्र के खसरा नं. 1402 में सायलान ने हनुमानजी का निजी मंन्दिर रास्ता आम के सहारे बना रखा है। तथा [illegible] लैंगवा पश्चिम में पाटौर आलात काश्तकारी रखने हेतु बना रखी है [illegible] रूम निमित कर [illegible] है। शेष भूमि यशमूल खसरा नं. 1403 को सायलान कृषि कार्य में लेते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:02 IST
Reason: SelfAttested

सायलान के कब्ज़ा काश्त तया खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1402 के लेंगवा पूर्व दिशा में रास्ता आम की भूमि खसरा नं. 922 की भूमि स्थित है। जिसमें होकर सायलान खुल्लम–खुल्ला विना किसी रोक–टोक के बतौर हक अरसा दराज 50 साल पूर्व से अपने बुजुर्गान के जमाने से निकलते चले आ रहे हैं। सायलान को अपनी खातेदारी की भूमियों को आने जाने का यह एक मात्र रास्ता है। चकौल गैरसायलान भी खसरा नं. 1402 आम रास्ता में मिला है, सायलान की खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1403 तथा 1402 में होकर गैरसायल नं. 2 सुरेश की भूमि खसरा नं. 1411 के लिये 30 फुट चौडा रास्ता कभी नहीं रहा। ना ही आज मौके पर रास्ता है।

गैरसायलान उद्‌बण्ड प्रकृति के क्षगडालू आदमी है। सायलान सीधे–साधे इज्जत वाले व्यक्ति हैं। वादी नं.–1 दिल्ली पुलिस में सिपाही के पद पर कार्यरत है। गैरसायलान लटठ की ताकत से सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1403 तया खसरा नं. 1402 रकवा 17 ऐयर पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं तथा रास्ता का बूँटा विवाद पैदा कर रास्ते के ऐनटैन्स (प्रवेश) पर आये दिन ट्रेक्टर–ट्रॉली, मोटर साइकिल रख देते हैं। सायलान मना करते हैं तो जान से मारने की ऐलानिया धमकी देते हैं। तथा भूमि मुतनाजा खसरा नं. 1402 को वेस्ट, डेमेज एण्ड ऐलीनेट करने की ऐलानिया धमकी देते रहते हैं। रास्ता आम से निकलने पर क्षगडा करने को आमादा रहते हैं। तथा गैरसायलान की भूमि खसरा नं. 1411 के लिये सायलान की भूमि खसरा नं. 1403 तथा 1402 के बीच में होकर कोई रास्ता नहीं जाता है।

वाका दिनांक 20.09.15 के वक्त करीबन सुबह 10 बजे का है कि सायलान अपने खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1402 में रास्ता आम से जाने लगे तो प्रतिवादीगण ने मजमा खिलाफ कानून बनाकर वादीगण पर जुर्म करने की बदनियती से हमलावर हुये तथा रास्ता में हेक्टर–ट्रॉली, मोटर साइकिल खडा करने की धमकी देते हुये रास्ता आम से निकलने के लिये इंन्कार कर दिया। तवा खसरा नं. 1402 पर लटठ की ताकत से कब्जा करने की ऐलानिया धमकी दी है। गैरसायलान ने सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1403 तथा 1402 में होकर निकलने की धमकी दी है। इसलिये दावा हाजा बावत स्थायी निषेधाज्ञा तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खिलाफ गैरसायलान दायर करना लाजिम आया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर अर्ज है कि गैरसायलान को दौराने दावा टी. आई आदेश से पाबंन्द किया जावे कि गैरसायलान ना तो स्वय और

ना ही दीगर व्यक्तियों की मदद से सायलान के कब्जा काश्त तथा खातेदारी की भूमि खसरा नं. 1402 व 1403 वाके ग्राम झारैडा तहसील हिण्डौन के किसी भी भाग पर बलात कब्जा ना करें। सायलान को शांन्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। तथा खसरा नं. 1402 के पूर्वी सिरे पर स्थित रास्ते आम की भूमि खसरा नं. 922 वाके ग्राम क्षारैडा से जाने वाला रास्ता जो ग्राम भोपुर से ग्राम बहादुरपुर को जाता है, में बाधा उत्पन्न ना करें। सायलान के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं. 1402 के एंन्ट्रेन्स (प्रवेश) पर ट्रेक्टर–ट्रॉली, मोटर साइकिल आदि रखकर, आवागमन में बाधा उत्पंन्न ना करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखें।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 ता 7 की ओर से श्री अशोक नीमनका द्वारा वकालतनामा पेश किया। जबाब के अनेक अवसर दिये गये परन्तु जबाब पेश नहीं होने पर आदेशिका दिनांक 01.07.2024 से गैरसायलान का जबाब बंद किया गया।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 7, नक्शा ट्रैश, जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 1 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये आदेश अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान उक्त विवादित आराजी खातेदारी भूमि खसरा न0 खसरा नं. 1402 व 1403 वाके ग्राम झारैडा तहसील हिण्डौन के किसी भी भाग पर बलात कब्जा ना करें। सायलान को शांन्तिपूर्वक काश्त करते रहने देवें। तथा खसरा नं. 1402 के पूर्वी सिरे पर स्थित रास्ते आम की भूमि खसरा नं. 922 वाके ग्राम क्षारैडा से जाने वाला रास्ता जो ग्राम भोपुर से ग्राम बहादुरपुर को जाता है, में बाधा उत्पन्न ना करें। सायलान के कब्जा काश्त की भूमि खसरा नं. 1402 के एंन्ट्रेन्स (प्रवेश) पर ट्रेक्टर–ट्रॉली, मोटर साइकिल आदि रखकर, आवागमन में बाधा उत्पंन्न ना करें। राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। गैरसायलान ने अपने बहस कथन में प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:30:02 IST
Reason: SelfAttested

नकल नकल जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 7, नक्शा ट्रैश, जमाबंदी 2070–73 खाता संख्या 1 वाके ग्राम झारेडा तहसील हिण्डौन में खसरा न0 1402, 1403 के सायलान खातेदार काश्तकार एवं खसरा न0 922 सिवाचयक दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि सायलान द्वारा उक्त खसरा नम्बर पर वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 1402, 1403, 922 वाके ग्राम झारेडा तहीसल हिण्डौन में रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 19.10.2015 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 28-2-25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 28/2/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 18:50:02 IST
Reason: SelfAttested